FORM III

फर्द अहकाम

(नियम 20)

न्यायालय अधिकारी उनियारा (टोंक)

बनाम

किस्म मुकद्दमा.................................नम्बर सन्...20

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुये |
|---|---|---|
| 13-6-17 | आज पत्रावली कैम्प कोर्ट राजस्व लोक अदालत ग्राम पंचायत अटल सेवा केन्द्र, गोठड़ा पर पेश हुई। संक्षेप में प्रकरण इस प्रकार है कि वादी के खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजी २१०१० ९७। रकबा 0.69 हैक्टर वाके ग्राम गोठड़ा में स्थित है वाक्यात आराजी पर वादी का निर्विवाद कब्जा काश्त चला आ रहा है। वादी की उक्त आराजी से प्रतिवादीगण का दूर का भी कोई लेना देना या संबंध नहीं है। परन्तु वादी परिवार में अकेला है, जबकि प्रतिवादीगण जिद्दी बन्द व बदमाश किस्म के व्यक्ति है तथा जबरन वादी की आराजी पर कब्जा करने पर आमादा है, जिसका उन्हे कोई कब्जा व अधिकार नहीं है।<br>प्रकरण दर्ज रजि० किया गया। वादी व प्रतिवादी अनु०। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का मनन किया गया। जमाबंदी 2070-2073 सम्वत् कि संलग्न है। राजस्व रिकार्ड के आधार पर श्रीपुखलाल रघुवीर निवासी गोठड़ा खातेदार है। प्रतिवादी राजस्व रिकार्डानुसार खातेदार नहीं है।<br>अतः प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा मय शपथ पत्र स्वीकार किया जाता है। प्रतिपक्षीगण को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा पाबंद किया जाता है कि वादीगण के खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजी २१०१० ९७। रकबा 0.69 हैक्टर वाके ग्राम गोठड़ा तहसील उनियारा | |

Scanned by CamScanner

मे किसी प्रकार अनाधिकृत व हस्तक्षेप नहीं करे, ना कब्जे मे बाधा डाले, ना कब्जा करने का ही प्रयास करे। प्रतिवादीगण को हमेशा हमेशा के लिए फैसला बाद पाबन्द किया जाता है।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। पत्रावली दफ्तर दाखिल किया जावे।

Scanned by CamScanner